

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही  
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 19/2015

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
1. पुनाराम पुत्र समाजी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
2. दलाराम पुत्र समाजी जातिगण घांची निवासीगण छावनी, शिवगंज		शिवगंज

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

श्री भगवतसिंह देवडा, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स  
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से



--: निर्णय :-

दिनांक:- 5.4.18

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 156/2013 बअनवान पुनाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2015 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम बडगांव के खसरा नम्बर 679 रकबा 8.15 बीघा की भूमि की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिसका आधार यह था कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का वर्ष 1995-1996 से पूर्व का कब्जा काश्त था, जो खसरा परिवर्तनशील आदि दस्तावेजात् से साबित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। उक्त भूमि को अपीलान्ट द्वारा मेहनत से कृषि योग्य बनाया है, जिसकी खातेदारी अधिकार प्रदान न कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के हक हककों पर कुठाराघात किया है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय को अपास्त कराते हुए वादस्थ भूमि का अपीलान्ट को खातेदार घोषित करावें तथा रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली कैम्प-सिरोही

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। यदि अपीलाण्ट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में काबिज है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरुद्ध माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।



बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा मौजा बडगांव के खसरा नम्बर 679 रकबा 8.15 बीघा भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होने के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा तथा अपने कथनों के समर्थन में खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् को दृष्टिगत रखते हुए कोर्ट कैम्प में त्वरित न्याय प्रदान कराने की मंशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्बत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की हैं। कानूनन खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है, जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि भूमि पर कब्जा विधिवत दिया गया था। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली केम्प-सिरोही

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जात है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 156/2013 बअनवान पुनाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.07.



2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5-4-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
कैम्प सिराही  
पाली कैम्प-सिराही